

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

क्रमांक 274

दिनांक :- 29 जुलाई, 2020

परिपत्र

वर्तमान में कोरोना कोविड-19 का संक्रमण यथावत जारी है । बीकानेर न्यायक्षेत्र में भी कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे तथा उन कर्मचारियों के सीधे सम्पर्क में आने वाले अधिकारीगण/कर्मचारीगण को गृह निरुद्ध (होम क्वारेन्टाईन) किया गया था । क्वारेन्टाईन अवकाश के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. क्वारेन्टाईन अवकाश प्रार्थना पत्र, Government of Rajasthan, Form of Application for leave under the Rajasthan Service Rules (जिसका प्रारूप संलग्न है) प्रेषित कर लेख है कि इसके कॉलम नम्बर 06 में क्वारेन्टाईन अवकाश की दिनांक व अवधि अंकित करते हुए प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का क्वारेन्टाईन किये जाने का तथा स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न होगा ।
2. क्वारेन्टाईन अवकाश एक विशेष अवकाश है, जो कि Paid Leave की तारीफ में आता है, जिससे वह उपार्जित अवकाश में से अथवा किसी अन्य अवकाश में से शेषित (घटाया) नहीं किया जायेगा ।
3. क्वारेन्टाईन अवकाश स्वीकृति हेतु अधिकारीगण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुए इस कार्यालय के माध्यम से आवेदन करेंगे ।
4. जो अधिकारी/कर्मचारी कोरोना संक्रमित है, उसे संक्रमण काल हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये संक्रमित काल का अस्वस्थता एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र हेतु चिकित्सकीय अवकाश उपरोक्त प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदित करेंगे । राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नियम खण्ड के आदेश संख्या F.1(1)/FD/Rules/2012 दिनांक 12.05.2020 में क्वारेन्टाईन अवकाश के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसरण में ही उक्त अवकाश स्वीकृत किया जावे तथा अवकाश स्वीकृति आदेश विशेष रूप से उक्त आदेश का उल्लेखन किया जाये ।
5. उक्त अवकाश का इन्द्राज सम्बन्धित की सेवा पुस्तिका में किया जायेगा ।
6. उपरोक्त अवकाश स्वीकृति के उपरान्त, संबंधित न्यायालय स्वीकृति आदेश की प्रति केन्द्रीकृत लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर को प्रेषित की जावे, ताकि संबंधित कर्मचारी का वेतन प्रपत्र रचित किया जा सके ।

क्रमांक 5049

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

बीकानेर

दिनांक 29/7/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सेशन न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण मामलात्, बीकानेर ।
2. श्रम न्यायालय, बीकानेर ।
3. न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण, बीकानेर ।
4. पारिवारिक न्यायालय सं. 1/सं. 2/सं 3, बीकानेर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1/2/3/4/5/6/7, बीकानेर/कैम्प कोर्ट, डूंगरगढ़ ।
6. अपर सेशन न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण), बीकानेर ।
7. विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति/(अ.नि.प्र.) बीकानेर ।
8. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो, बीकानेर ।
9. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर
10. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर
11. मुख्य न्यायिक मजि. बीकानेर ।
12. अति. मुख्य न्यायिक मजि. सं. 1/2/3/4, बीकानेर ।

13. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बीकानेर।
14. अति. मुख्य न्यायिक मजि., पीसीपीएनडीटी एक्ट कैसेज, बीकानेर।
15. अति. मुख्य न्यायिक मजि., (रेलवे), बीकानेर।
16. अति. मुख्य न्यायिक मजि., (किराया अधिकरण), बीकानेर
17. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा/लूणकरणसर/डूंगरगढ़
18. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. बीकानेर/सं. 3, बीकानेर/
कोलायत/खाजूवाला।
19. अति. सिविल न्यायाधीश, सं. 1/2/3, बीकानेर।
20. विशिष्ट न्यायिक मजि., एन.आई एक्ट प्रकरण सं. 1/2/3, बीकानेर।
21. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बीकानेर/कोलायत
22. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है
कि उक्त समस्त न्यायालयों को जरिये ईमेल प्रेषित करें तथा विभागीय
वेबसाईड पर अपलोड करे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर

Solanki

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE UNDER THE RAJASTHAN SERVICE
RULES

1. Name of applicant and father's/ husband name :-

2. Post held :-

3. Department, Office and Section ::

4. Pay :-

5. House rent allowance, ::
Conveyance allowance or other
compensatory allowance drawn on
the present post

6. Nature and period of leave applied ::
for and date from which required

7. Sunday and holidays, of any, ::
proposed to be prefixed / suffixed

8. Ground on which leave is applied for ::

9. Date of return from last leave and
nature and period of that leave :-

10(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during privilege leave commuted leave and that admissible during half-pay leave which would not have been admissible, had the provisions of proviso below clause (iii) of sub rule (c) of rule () of Rajasthan Service Rules not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

(b) I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due" which would not have been admissible had rule 93 (d) of the Rajasthan Service Rules not been applied, in the event of my voluntary retirement from service at the end or during the currency of the leave.

11. Leave - Address -

Signature of applicant (with date)

12. Remark and/or recommendation of the
controlling officer.

Signature(with date)
Designation

Certificate Regarding Admissibility of Leave by Accounts General in case of Gazetted Officers.

13. Certified thatfor
From to is admissible under rule of the Rajasthan Service Rules..... P.L. is in his credit.

Signature(with date)
Designation

14. Order of the sanctioning authority.

Signature(with date)
Designation